भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 685
जिसका उत्तर 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है।
19 माघ, 1940 (शक)

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली

685. श्री संजय सिंह:
श्री पी. एल पुनिया:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी बैंकों में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को बंद कर दिया गया है या नहीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक क्यू आर कोड आधारित 'ऑफ लाइन आधार' का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए बातचीत कर रहा है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया)

(क) से (ख) : माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 26.9.2018 के अपने निर्णय में आधार अधिनियम, 2016 की संवैधानिक वैद्यता को स्वीकार किया है। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार परियोजना के अंतर्गत लाभ कल्याणकारी योजनाओं की प्रकृति में होने चाहिए। बैंक लाभार्थी के बैंक खाते में किसी भी प्रकार की मौद्रिक छूट या लाभ का हस्तांतरण करने के साथ-साथ आधार आधारित माइक्रो-एटीएम मशीनों के जरिए लाभार्थी द्वारा धनराशि निकालने की सुविधा देने के उद्देश्य से ऐसे लाभार्थियों के अधिप्रमाणन की मांग करने के हकदार होंगे जो आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत छूट/लाभ/सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। तदनुसार आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) क्रियाशील बनी रहेगी क्योंकि यह आधार के निर्णय से प्रतिकूल ढंग से प्रभावित नहीं है।

(ग) : बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को यह सलाह दी गई है कि अपनी पहचान स्थापित करने के इच्छुक आधार कार्ड धारक द्वारा अधिप्रिमाणन के बिना भौतिक आधार कार्ड के स्वैच्छिक प्रयोग को निर्णय के तहत निषिद्ध नहीं किया गया है। तदनुसार आरबीआई, आधार कार्ड की भौतिक प्रति जिसमें केवाईसी के उद्देश्य से ऑफ़िशियल बैलिड डॉक्यूमेंट्स (ओवीडी) की अपनी सूची में ई-आधार, मास्क्ड आधार और ऑफ़लाइन एक्सएमएल की भौतिक प्रति शामिल है, को शामिल करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि बैंकों को आधार कार्ड की भौतिक प्रति को भण्डरित करते समय आधार संख्या के प्रथम 8 अंकों को मास्क करने की सलाह दी गई है।

******